अध्याय – पंचम

सारांश, निष्कर्ष, व्याख्या, सुझाव

इस अध्याय के अंतर्गत शोध – संक्षेपिता, शोध सुझाव, का वर्णन किया है, तथा शोध समस्या के निष्कर्ष जो कि अध्याय चतुर्थ में विश्लेषण से प्राप्त हुऐ हैं, उनका वर्णन किया है ।

1. भूमिका सार –

शिक्षा व्यक्ति की नैसर्गिक क्षमताओं को विकसित कर उन्हें समाज का अर्थपूर्ण सदस्य बनाती है । जनजातिय क्षेत्र शैक्षिक रूप से पिछड़े होने के कारण सामाजिक एवं आर्थिक रूप से भी पिछड़े है, जिसके फलस्वरूप जनजातिय क्षेत्रों में शिक्षा के गुणात्मक सुधार हेतु सरकार द्वारा करोड़ों रूपयों का अनुदान देकर अनुदान प्राप्त स्वायत्त विद्यालय एवं आश्रम शालाओं को प्राथमिकता दी है; जिससे जनजातिय क्षेत्रों के विद्यार्थियों का मानसिक एवं शैक्षिक विकास हो । वर्तमान परिपेक्ष्य में बड़ती जनसंख्या, बेरोजगारी एवं इन दोनों के कारण उत्पनन आर्थिक अव्यवस्था को जनजातिय क्षेत्रों से भी अलग नहीं किया जा सकता है । जनजातिय क्षेत्रों के शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिये यह आवश्यक है, कि इन क्षेत्रों को भी देश की विचारधारा से जोड़ा जाय एवं देश में बेरोजगारी की बड़ती समस्या के फलस्वरूप व्यावसायिक शिक्षा को शिक्षा का मुख्य आधार बनाया जाय ।

2. समस्या कथन –

अनुदान प्राप्त आश्रम विद्यालय एवं शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत् आदिवासी छात्राओं की मानसिक योग्यता एवं व्यावसायिक रूचि का तुलनात्मक अध्ययन ।

3. आवश्यकता एवं महत्व –

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा जनजातिय क्षेत्रों में शैक्षिक विकास हेतु अनुदान प्राप्त आश्रम विद्यालय संचालित हैं । अनुदान प्राप्त आश्रम विद्यालयों पर पर्याप्त शोध–कार्य नहीं हुआ है, वहीं दूसरी ओर जनजातिय समुदाय वर्तमान युग में ऐसे स्थान पर खड़ा है, जहाँ से ऊर्जा के स्त्रोतों के दोहन द्वारा मानव समाज के हित एवं प्रगति के साथ – साथ स्वयं जनजातियों की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति संभग हें । परंतु वर्तमान परिपेक्ष्य में बेरोजगारी के बढ़ते दावानल को जनजातिय क्षेत्रों से भी अलग नहीं किया जा सकता है । आज जनजातिय क्षेत्रों में भी व्यावसायिक शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है, ताकि जनजातिय क्षेत्रों के विद्यार्थी अपनी रूचि अनुसार व्यावसाय का चुनाव कर व्यावसाय की बारीकियों को समझ कुशलता प्राप्त करें एवं स्वरोजगाररत् होकर अपने देश एवं समाज के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में भी सहयोग दें सकें ।

अतः इस संदर्भ में शोध कार्य की आवश्यकता एवं महत्व स्पष्ट है ।

उद्देश्य –

1. अनुदान प्राप्त आश्रम विद्यालय में कक्षा 9 वीं एवं 12 वीं में अध्ययनरत् आदिवासी छात्राओं की मानसिक योग्यता का अध्ययन करना ।

2. अनुदान प्राप्त आश्रम विद्यालय में कक्षा 9 वीं एवं 12 वीं में अध्ययनरत् आदिवासी छात्राओं की व्यावसायिक रूचि का अध्ययन करना ।

3. शासकीय विद्यालय में कक्षा 9 वीं एवं 12 वीं में अध्ययनरत् आदिवासी छात्राओं की मानसिक योग्यता का अध्ययन करना ।

4. शासकीय विद्यालय में कक्षा 9 वीं एवं 12 वीं में अध्ययनरत् आदिवासी छात्राओं की व्यावसायिक रूचि का अध्ययन करना ।

5. शासकीय एवं अनुदान प्रापत आश्रम विद्यालय में कक्षा 9 वीं एवं 12 वीं में अध्ययनरत् आदिवासी छात्राओं की मानसिक योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन करना ।

6. शासकीय एवं अनुदान प्राप्त आश्रम विद्यालय में कक्षा 9 वीं एवं 12 वीं में अध्ययनरत् आदिवासी छात्राओं की व्यावसायिक रूचि का तुलनात्मक अध्यय करना ।

7. शासकीय विद्यालय एवं अनुदान प्राप्त आश्रम विद्यालय की आदिवासी छात्राओं की मानसिक योग्यता का व्यावसायिक रूचि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना ।

परिकल्पनाऐं –

1. अनुदान प्राप्त आश्रम विद्यालय एवं शासकीय विद्यालय में कक्षा 9 वीं एवं 12 वीं में अध्ययनरत् आदिवासी बालिकाओं की मानसिक योग्यता में अंतर होता है ।

2. अनुदान प्राप्त आश्रम विद्यालय एवं शासकीय विद्यालय में कक्षा 9 वीं एवं 12 वीं में अध्ययनरत् आदिवासी छात्राओं की व्यावसायिक रूचि में अंतर नहीं होता है ।

3. अनुदान प्राप्त आश्रम विद्यालय में कक्षा 9 वीं एवं 12 वीं में अध्ययरनत् आदिवासी छात्राओं की मानसिक योगयता एवं व्यावसायिक रूचि में सह संबंध नहीं होता है ।

4. शासकीय विद्यालय में कक्षा 9 वीं एवं 12 वीं में अध्ययनरत् आदिवासी छात्राओं की मानसिक योग्यता एवं व्यावसायिक रूचि में सह संबंध नहीं होता हैं ।

शोध सीमांकन –

शोधकर्ता द्वारा शोध कार्य आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित एक शासकीय विद्यालय एवं एक अनुदान प्राप्त आश्रम विद्यालय अम्बिकापुर जिला सरगुजा मध्यप्रदेश तक सीमित रखा गया है । एवं यह शोध कार्य केवल कक्षा 9 वीं एवं 12 वीं की आदिवासी छात्राओं पर ही किया गया है ।

चर –

स्वतंत्र चर –

मानसिक योग्यता

आश्रित चर –

व्यावसायिक रूचि

न्यादर्श –

शोधकर्ता ने न्यादर्श हेतु स्थान एवं विद्यालय का चयन सौद्धेश्य विधि से आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित एक शासकीय विद्यालय कन्या परिसर एवं एक अनुदान प्राप्त आश्रम विद्यालय हॉली क्रास का किया । शोध कार्य में आदिवासी छात्राओं का चयन कक्षा 9 वीं एवं 12 वीं में से यादृच्छिक विधि से किया ।

उपकरण –

शोध कार्य के लिये निम्न उपकरणों को प्रयुक्त किया गया है –

1. डॉ. एस.पी. कुलश्रेष्ठ द्वारा निर्मित व्यावसायिक रूचि परीक्षण प्रपत्र ।
2. डॉ. श्याम स्वरूप जलोटा द्वारा निर्मित मानसिक योगयता परीक्षण प्रपत्र ।

सांख्यिकी विधियाँ –

प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के माध्यम से तथ्यात्मक निष्कर्ष निकालने के लिये प्रमुख रूप से जिन सांख्यिक प्रविधियों का प्रयोग किया गया है वे हैं –

1. टी परीक्षण
2. सह संबंध गुणांक परीक्षण

निष्कर्ष एवं व्याख्या –

अनुदान प्राप्त आश्रम विद्यालय एवं शासकीय विद्यालय में कक्षा 9 वीं एवं 12 वीं में अध्ययरनत् आदिवासी छात्राओं की मानसिक योग्यता एवं व्यावसायिक रूचि का अध्ययन करने पर पाया गया कि –

1. अनुदान प्राप्त आश्रम विद्यालय में अध्ययनरत् आदिवासी छात्राओं की मानसिक योग्यता, शासकीय विद्यालय की आदिवासी छात्राओं से अधिक है । अनुदान प्राप्त आश्रम विद्यालय की आदिवासी छात्राओं का माध्य (97.37) एवं शासकीय विद्यालय की आदिवासी छात्राओं का माध्य (83.05) है । जिसका कारण वैचारिक दृष्टि से यही ज्ञात होता है, कि अनुदान प्राप्त आश्रम विद्यालय आवासीय है । इन विद्यालयों में अध्ययरनत् छात्राऐं एक विशेष प्रकार का परिवेश जो इनके पारिवारिक वातावरण से भिनन है, प्राप्त करती है, एवं तुलनात्मक रूप से शिक्षकों का सहयोग व अधिक शिक्षण सुविधायें प्राप्त करती हैं । शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत् आदिवासी छात्राओं को अपने सामाजिक परिवेश में अध्ययन के लिये अनुकूल वातावरण प्राप्त नहीं हो पाता है । पारिवारिक सदस्य भी शिक्षा की उपयोगिता को नहीं समझते हैं । अध्ययन में कुछ कठिनाई आने पर परिवार के सदस्य उनकी सहायता नहीं कर पाते हैं । छात्राओं का अधिकांश समय घरेलू कार्यों में व्यतीत होता है । फलतः इसका प्रभाव छात्राओं की योग्यता पर पड़ता है ।

2. शासकीय एवं अनुदान प्राप्त आश्रम विद्यालय में अध्ययनरत् आदिवासी छात्राओं की व्यावसायिक रूचि में कोई अंतर नहीं पाया गया, जिसका कारण मुख्यतः यह हो सकता है, कि दोनों ही विद्यालयों की छात्राऐं अम्बिकापुर जिला सरगुजा मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों की रहने वाली हैं, जिसके फलस्वरूप छात्राओं के सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश में कोई अंतर नहीं है । सभी छात्राओं का वैचारिक विकास एक जैसे सामाजिक परिवेश में हो रहा है, जिसके कारण उनकी व्यावसायिक रूचियों में भी भिन्नता नहीं है ।

3. अनुदान प्राप्त आश्रम विद्यालय एवं शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत् आदिवासी छात्राओं की मानसिक योगयता एवं व्यावसायिक रूचियों में अनुदान प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत् आदिवासी छात्राओं की सिर्फ औद्योगिक व्यवसायों संबंधी व्यावसायिक रूचि में सह संबंध पाया गया । वैचारिक दृष्टि से इसका कारण मुख्यतः यही ज्ञात होता है, कि शिक्षा के व्यावसायीकरण के प्रावधान एवं प्रयोग होने के बावजूद आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के व्यावसायिकरण की योजना ने अभी गति नहीं पकड़ी है । इस धीमी प्रगति का कारण अच्छी संमवित प्रबंध पद्धति का अभाव एवं समाज द्वारा इस अवधारणा को स्वीकार करने की उदासीनता है ।

4. अनुदान प्राप्त आश्रम विद्यालय की छात्राओं में औद्योगिक कार्यों से संबंधित व्यावसायिक रूचि में एवं मानसिक योग्यता में सह संबंध होने के कारण वैचारिक दृष्टि से यही प्रतीत होता है । अनुदान प्राप्त आश्रम विद्यालय की आदिवासी छात्राओं की मानसिक योग्यता शासकीय विद्यालय की तुलना में अधिक है एवं विभिन्न पंच–वर्षीय योजनाओं में लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु इन क्षेत्रों में विभिन्न सुलभ ऋण योजनाऐं संचालित हैं । जिसके फलस्वरूप छात्राओं को इन क्षेत्रों में प्रचलित लघु एवं कुटिर उद्योगों में घर बैठे अपना सहयोग देने एवं इन कार्यों द्वारा आर्थिक लाभ की सामान्य जानकारी है । जिसे वह अपने पारिवारिक संरक्षण के दायरे में अपनाना चाहती हैं ।

अतः छात्राओं की मानसिक योगयता एवं औद्योगिक कार्य संबंधी व्यावसायिक रूचि में सह संबंध होना स्वाभाविक है ।

उपचारात्मक सुझाव –

1. आदिवासी क्षेत्रों में शासकीय विद्यालयों में उचित शैक्षिक व्यवस्था करना चाहिये ।

2. छात्राओं में व्यावसायिक रूचि बढ़ाने के लिये पूर्व की कक्षाओं से ही कार्यानुभव एवं व्यावसायिक शिक्षा विद्यालयों में लागू की जाए ।

3. छात्राओं को भविष्य के प्रति जागरूक बनाकर उनकी व्यावसायिक रूचियाँ विकसित करनी चाहिये ।

4. छात्राओं की व्यक्तिगत योगयता के आधार पर उन्हें उचित मार्गदर्शन दिया जाय ।

5. छात्राओं को व्यावसायिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों से तथा भावी व्यावसायिक क्षेत्रों से परिचित कराया जाना चाहिये ।

6. छात्राओं की व्यावसायिक रूचियों के आधार पर ही विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया जाय ।

7. छात्राओं के प्रति परिवार के सभी सदस्यों के दृष्टिकोणों में परिवर्तन लाना चाहिये ।

8. छात्राओं की प्रतिभा को विकसित करने के लिये उन्हें अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना चाहिये ।

<u>शोध क्षेत्र</u> –

प्रस्तुत शोध कार्य की परिसीमन शोध निष्कर्ष एवं शोध सारांश के आधार पर भावी शोध क्षेत्र निम्न प्रकार से हो सकते हैं :–

1. छात्राओं की मानसिक योग्यता एवं व्यावसायिक रूचि के विकास में विद्यालय की भूमिका का अध्ययन किया जा सकता है ।

2. विभिनन अनुदान प्राप्त आश्रम विद्यालयों के विद्यार्थियों की व्यावसायिक रूचि का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है ।

3. व्यावसायिक रूचि के अन्य स्वतंत्र चरों जैसे सृजनात्मक बुद्धि लब्धि आदि को लेकर अनुदान प्राप्त आश्रम विद्यालयों की छात्राओं पर कार्य किया जा सकता है ।

4. अनुदान प्राप्त आश्रम विद्यालय में अध्ययनरत् आदिवासी छात्राओं की शैक्षिक आकांक्षा, शैक्षिक उपलब्धि और पालकों के व्यवसाय के बीच संबंध का अध्ययन किया जा सकता है ।

5. अनुदान प्राप्त आश्रम विद्यालय में अध्ययनरत् आदिवासी एवं ैर आदिवासी छात्राओं की मानसि योग्यता एवं व्यावसायिक रूचि का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है ।

Regional Institute of Education
LIBRARY
Bhopal